इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 10 | मई, 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ---------- 2
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामक के कथन---------- 4
आर्थिक संवेष्टन ---------- 4
नयी नियुक्तियाँ---------- 5
विदेशी मुद्रा---------- 6
शब्दावली---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी -------- 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां---------- 7
संस्थान समाचार---------- 7
नयी पहलकदमी---------- 9
बाजार की खबरें ---------- 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पुनर्खरीद (repo) दर में 40 आधार अंकों और आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) में 50 आधार अंकों की वृद्धि की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए अचानक एक कदम उठाकर पुनर्खरीद (repo) दर को तत्काल प्रभाव से 40 आधार अंक बढ़ाकर 4.40% कर दिया। इस वृद्धि को वैश्विक महामारी के कारण मई 2020 में की गई उस कटौती की वापसी के रूप में देखा जा रहा है जिसमें पुनर्खरीद दर को 40 आधार अंक कम कर दिया गया था। इसके फलस्वरूप स्थाई जमा सुविधा (SDF) और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर को 4.15 % और 4.65% पर समायोजित किया गया था। बैंकिंग प्रणाली से 87,000 करोड़ रुपए की चलनिधि को अवशोषित करने के उद्देश्य से आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) 50 आधार अंक बढ़ा कर 4.50 प्रतिशत कर दिया गया था। यह निर्णय 21 मई, 2022 से प्रारंभ होने वाले रिपोर्टिंग पखवाड़े से प्रभावी होगा।

मौद्रिक नीति की मुख्य बातें

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए मौद्रिक नीति समिति (MPC) की पहली बैठक 6 अप्रैल से 8 अप्रैल 2022 तक आयोजित हुई। मौद्रिक नीति समिति की उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्त वर्ष 2023 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में वृद्धि का पूर्वानुमान 7.8% से घटाकर 7.2% कर दिया गया।
- मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक ढांचे को समरूपता प्रदान करने के लिए 3.75% की दर से स्थायी जमा सुविधा की शुरुआत की गई।
- वित्त वर्ष 2023 के लिए मुद्रास्फीति के पूर्वानुमान को 4.5% से बढ़ाकर 5.7% कर दिया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 24x7 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की अनुमति देकर ग्राहक सुविधा में वृद्धि की

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अब बैंको को स्वत: सेवा एवं सहायताप्राप्त विधियों (modes) में 24x7 उत्पाद और सेवा प्रदान करने हेतु डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ (DBUs) खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ये डिजिटल बैंकिंग इकाइयाँ जो उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर सकती हैं उनमें खाता खोलने, नकदी आहरण एवं जमा, अपने ग्राहक को जानिए अद्यतनकरण, ऋणों और शिकायत पंजीकरण का समावेश है। डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (SCBs) को टियर-1 से लेकर टियर-6 तक के केन्द्रों मे डिजिटल बैंकिंग इकाइयां खोलने की अनुमति दी गई है।

सरकारी उधार को सहायता प्रदान करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एचटीएम सीमा बढ़ाई

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपक्वता तक धारित (HTM) सीमा बढ़ा दी है। वर्तमान में बढ़ाई गयी सीमा के तहत बैंकों को 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि में अधिगृहीत पात्र सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) प्रतिभूतियाँ शामिल करने की अनुमति प्रदान की गई है। वित्त वर्ष 24 की पहली तिमाही से उक्त सीमा चरणों में घटनी प्रारम्भ होगी, जो 23% से घट कर 19.5% हो जाएगी। तदनुसार परिपक्वता तक धारित श्रेणी वाली सांविधिक चलनिधि अनुपात प्रतिभूतियाँ जून 2023 के अंत तक 22%, सितंबर 2023 के अंत तक 21%, दिसंबर 2023 के अंत तक 20% और मार्च 2024 के अंत तक 19.50% से अधिक नहीं होनी चाहिये।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को 2,22,623 करोड रुपये मूल्य की ऋण चूक अदला-बदलियाँ बेचने की अनुमति प्रदान की

भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 23 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) को कुल ,22,623 करोड़ रुपए की आनुमानिक रकम

की ऋण चूक अदला-बदलियाँ (CDS) बेचने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा सुपुर्दगी दायित्व (deliverable obligation) के रूप में प्राप्त ऋण लिखतों और ऋण चूक अदला-बदली संविदाओं के भौतिक/वास्तविक निपटान (physical settlement) में सुपुर्दगी दायित्व को पूरा करने के लिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा खरीदे गए ऋण लिखतों पर कारपोरेट बाँड़ों के लिए निवेश सीमा के अधीन विचार किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिभूतियों के बकाया स्टाक के संबंध में सरकारी प्रतिभूतियों (G-secs), राज्य विकास बाँड़ों (SLBs) और कारपोरेट बाँड़ों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमाएं क्रमश: 6%, 2% और 15% के रूप में अपरिवर्तित हैं।

गैर-वैयक्तिक उधारकर्ताओं को ट्रैकिंग कूट प्राप्त करने हेतु 3 वर्ष का समय मिला

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के पास 25 करोड़ रुपए से अधिक के कुल एक्सपोजर वाले गैर- वैयक्तिक उधारकर्ताओं के लिए 30 अप्रैल 2023 को या उससे पहले विधिक संस्था पहचानकर्ता (LEI) ट्रैकिंग कूट प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। 10 से 25 करोड़ रुपए के एक्सपोजर वालों के लिए विधिक संस्था पहचानकर्ता कूट प्राप्त करने हेतु 30 अप्रैल 2024 तक का समय निर्धारित किया गया है, जबकि 5 से 10 करोड़ रुपए के एक्सपोजर वालों के लिए अप्रैल 2025 से पहले की समय-सीमा निर्धारित है। निर्धारित समय -सीमा के भीतर किसी स्थानीय प्रचालन एकक/इकाई (LOU) से विधिक संस्था पहचानकर्ता कूट प्राप्त करने में विफल उधारकर्ताओं को किसी नए एक्सपोजर के लिए स्वीकृति नहीं प्राप्त होगी और न ही उन्हें किसी मौजूदा एक्सपोजर का नवीकरण /वृद्धि मंजूर की जाएगी। ये दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) पर भी लागू किए गए हैं। हालांकि, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के विभागों एवं एजेंसियों को इस प्रावधान से छूट प्रदान की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अल्पावधिक फसल ऋण योजना से संबन्धित दावे जारी करने हेतु 30 जून 2023 तक का समय दिया

बैंकों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिये अल्पावधिक फसल ऋण योजना के अधीन प्रदान किए जाने वाले ब्याजगत अनुदान (interest subvetion) की रकम का दावा करना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए अनिर्णीत दावे 30 जून 2023 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं और सांविधिक (statutory) लेखा-परीक्षकों को उन्हें 'सत्य और ठीक' के रूप में प्रमाणित करना होगा। वर्ष 2021-22 के दौरान संवितरणों से संबन्धित किसी शेष बचे दावे तथा 31 मार्च 2022 के दिन दावों में शामिल न किए गए किसी दावे को अलग से समेकित किया जाना चाहिए तथा उसे "अतिरिक्त दावे" के रूप चिन्हित और सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा "सत्य एवं ठीक" के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए और अधिकतम 30 जून 2023 तक प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

उच्चतर और मध्यम परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निर्धारित समय-सीमा तक अनुपालन, मुख्य अनुपालन अधिकारी आवश्यक

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उच्चतर और मध्यम परत में आने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से कहा गया है कि वे अधिकतम क्रमश: 1 अप्रैल 2023 और 1 अक्तूबर 2023 तक मुख्य अनुपालन अधिकारी (CCO) की नियुक्ति सहित अनुपालन कार्य के संबंध में बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति तैयार कर लें। उक्त मुख्य अनुपालन अधिकारी न्यूनतम 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए और उसे आदर्श रूप में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के ऐसे वरिष्ठ कार्यपालक पद पर कायरत होना चाहिए जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी से दो स्तर से नीचे वाला न हो।

ग्रामीण सहकारी बैंक अधिमनी शेयरों, ऋण लिखतों से निधियाँ जुटा सकते हैं

संशोधित बैंककारी विनियमन अधिनियम में उनके समावेश के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों सहित ग्रामीण सहकारी बैंकों (RCBs) को उनके परिचालन क्षेत्र में स्थित लोगों अथवा मौजूदा शेयरधारकों से ऐसे अधिमानी शेयरों के माध्यम से निधियाँ जुटाने की अनुमति दे दी गई है जिनमें सतत असंचयी अधिमानी शेयरों (मूल टियर 1 पूंजी में समावेश के पात्र), सतत संचयी अधिमानी शेयरों, प्रतिदेय (redeemmable) असंचयी अधिमानी शेयरों और प्रतिदेय संचयी अधिमानी शेयरों (टियर II पूंजी में समावेश के पात्र) का समावेश है। ग्रामीण सहकारी बैंक टियर I पूंजी में समावेश के पात्र सतत ऋण लिखतों तथा टियर II पूंजी में समावेश के पात्र दीर्घावधिक गौण (subordinate) बाँड़ों के माध्यम से भी निधियाँ जुटा सकते हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, मूलभूत सुविधा वित्तीयन कंपनियों के जवाबदेही भागफल बढ़ाए

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जवाबदेही भागफल को बढ़ाने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने उच्चतर परत वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों तथा मूलभूत सुविधा वित्तीयन कंपनियों के लिए एक भारी एक्सपोजर ढांचा (LEF) जारी किया है जो 1 अक्तूबर 2022 से प्रवृत्त हो जाएगा। उसने ऐसे विशिष्ट प्रकटन मानदंड निर्धारित किए हैं जिनके द्वारा सभी श्रेणियों की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को अपने वार्षिक वित्तीय विवरणों में स्थावर सम्पदा क्षेत्र में उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष एक्सपोजर के बारे में विशिष्ट प्रकटन करने होंगे। उनके लिए यह भी आवश्यक होगा कि वे बैंकों को लागू होने वाले जैसे ही एक आरूप में अपनी सेक्टर-वार बकाया राशियों को रिपोर्ट करें।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने हेतु अनुमोदन, नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा : भारतीय रिजर्व बैंक

क्रेडिट कार्ड जारी करने की इच्छुक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन और उसके साथ ही साथ पंजीकरण प्रमाणपत्र की आवश्यकता होगी। जमा न स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी सहित किसी भी वित्तीयन कंपनी के लिए क्रेडिट कार्ड व्यवसाय में प्रवेश करने हेतु कम से कम 100 करोड़ रुपए की निवल स्वाधिकृत निधि रखना आवश्यक होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs) अपने प्रायोजक बैंक अथवा अन्य बैंकों के सहयोग से क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं। न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की निवल मालियत वाले, वित्तीय रूप से सुदृढ़, सुप्रबंधित और कोर बैंकिंग समाधान (CBS) समर्थित अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक (UCBs) कुछ शर्तों के अधीन क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख प्रबन्धकीय स्टाफ का प्रतिकर नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा निर्धारित किया जाए

भारतीय रिजर्व बैंक ने यह अनिवार्य कर दिया है कि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन को प्रतिकर (compensation) का निर्धारण उस नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (NRC) द्वारा तैयार की गई नीति के अनुसरण में किया जाए जो प्रत्येक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी द्वारा गठित की जाएगी। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2023 से प्रवृत्त होंगे तथा ये आधार परत (base layer) वाली कंपनियों के अतिरिक्त सभी वित्तीयन कंपनियों पर लागू होंगे।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक के लिए गतिशील वैश्विक स्थिति के अनुरूप कार्य/कार्रवाई करना जरूरी

मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री शक्तिकान्त दास ने कहा है कि शीर्ष बैंक को "गतिशील और तेजी से बदलती वैश्विक आर्थिक स्थिति" का निरंतर आधार पर पुनर्मूल्यांकन करते रहना तथा अपनी कार्रवाइयों को तदनुसार रूप देते रहना होगा। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर श्री माइकल देबब्रत पात्रा ने यह मत व्यक्त किया कि आसन्न अवैश्वीकरण का सामना कर रहे विश्व में मुद्रास्फीति ही एकमात्र ऐसी चीज है जो वैश्वीकृत हो रही है। उन्होंने कहा कि "60% विकसित देशों द्वारा 5% से अधिक और आधे से अधिक विकासशील देशों द्वारा 7% से अधिक की ऐसी मुद्रास्फीति का सामना किए जाने जो 1980 वाले दशक से एक अनसुनी बात है, के फलस्वरूप कीमतों में उछाल समाज की सहनशीलता की परीक्षा ले रहा है।"

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा तैयार की गई मार्च 2022 की मासिक आर्थिक रिपोर्ट के अनुसार कुछेक प्रमुख आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन निम्नानुसार हैं :

- अप्रैल-फरवरी वित्त वर्ष 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयोजित (उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-सी) और थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति क्रमश: 5.4% और 12.7% रही।

- फरवरी 2022 में आठ प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक 137.1 रहा।
- अप्रैल-जनवरी 2021-22 के लिए औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (IIP) की वर्षानुवर्ष वृद्धि अप्रैल-जनवरी 2020-21 के (-) 12% की तुलना में 13.7 रही।
- पीएमआई विनिर्माण के अनुसार मार्च में भारत की विनिर्माण गतिविधि के विस्तारित होने का क्रम जारी रहा तथा वह 54 के स्तर पर रही।
- मार्च 2022 में सेवाओं से संबन्धित गतिविधि के सुदृढ़ होने का क्रम जारी रहा जिससे पीएमआई सेवा का स्तर बढ़कर 53.6 पर पहुँच गया।
- मार्च 2022 में भारत का मासिक व्यापारिक (merchandise) निर्यात 40.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुँच गया।
- मार्च में व्यापारिक आयात 59.1 बिलियन अमरीकी डालर रहा।
- मार्च 2022 में माल और सेवा कर की वसूलियाँ 1.4 लाख करोड़ रुपए का सीमा-चिन्ह पार कर गईं जो पुनरुत्थान-पश्चात की स्थिति की द्योतक है।
- एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ (UPI) लेनदेनों का परिमाण मार्च 22 में 5 बिलियन का स्तर पार कर गया। वित्त वर्ष 2022 में इस प्लेटफार्म पर संसाधित लेनदेनों का मूल्य 84.2 ट्रिलियन रुपए रहा।
- कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में क्रमश: 3.3%, 6.5% और 5.6% की वर्षानुवर्ष वृद्धि परिलक्षित हुई।
- अप्रैल 21-जनवरी 22 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) अंतर्वाह बढ़कर 69.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
- अप्रैल-फरवरी 2021-22 की अवधि के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधारों (ECBs) के जरिये निधीयन निवेश में 29.7% की वृद्धि दर्ज हुई।
- 10 वर्षीय एएए श्रेणी-निर्धारित कारपोरेट बाँड़ों के बाजार प्रतिफलों में 21 आधार अंकों की कमी आई तथा वे फरवरी 2022 के 7.17% से घटकर मार्च 2022 में 6.9% रह गए।
- 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-secs) के प्रतिफलों में भौगोलिक-राजनीतिक वातावरण के कारण फरवरी 22 के मुक़ाबले मार्च 22 में 5 आधार अंकों की वृद्धि हुई।

बाह्य बेंचमार्क उधार दर से सम्बद्ध ऋणों में और अधिक वृद्धि के फलस्वरूप बाह्य बेंचमार्क उधार दर से मौद्रिक प्रेषण को बढ़ावा मिलेगा

अक्तूबर 2019 में अपनी शुरूआत से बाह्य बेंचमार्क उधार दर (EBLR) प्रणाली ने मौद्रिक नीति के बैंकों की उधार और जमा दरों के प्रेषण/हस्तांतरण में उल्लेखनीय रूप से सुधार ला दिया है। अप्रैल में जारी भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार बाह्य बेंचमार्क उधार दर से सम्बद्ध ऋणों की मात्रा में जैसे-जैसे वृद्धि होगी, इस प्रवृत्ति के और भी बढने की संभावना है। उक्त रिपोर्ट में यह बताया गया है कि निकट अवधि की वैश्विक प्रत्याशा विकट लगती है, वह तीव्र गति से परिणत होने वाली तनावपूर्ण आपूर्ति शृंखलाओं तथा मौद्रिक नीति के सामान्यीकरण की द्रुत गति, व्यापार और चालू खाते के घाटे में तेजी से बढ़ोतरी, पोर्टफोलियो पूंजी के बहिर्वाहों के साथ मिलकर बाहरी स्थिरता को प्रभावित कर सकती है, यद्यपि अंतर्निहित बुनियादी बातें तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रारक्षित निधि के स्टाक सुरक्षा (buffer) प्रदान कर सकते हैं।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
मुरली एम॰ नटराजन	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, डीसीबी बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ		
मद	22 अप्रैल 2022 के दिन करोड़ रुपए	22 अपराइल 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1 कुल प्रारक्षित निधियाँ	4592398	600423
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4083917	533933
1.2 सोना	327120	42768
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142737	18662
1.4 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षितनिधि की स्थिति	38623	5060

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

मई 2022 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों के लिए वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की आधार दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	0.28
जीबीपी	0.6902
यूरो	-0.583
जापानी येन	-0.018
कनाडाई डालर	0.9200
आस्ट्रेलियाई डालर	0.10

मुद्रा	दरें
स्विस फ्रैंक	-0.707814
न्यूजीलैंड डालर	1.50
स्वीडिश क्रोन	-0.106
सिंगापुर डालर	0.4155
हांगकांग डालर	0.01731
म्यामार रुपया	1.75

शब्दावली

स्थायी जमा सुविधा (SDF)

यह किसी संपार्श्विक के बिना चलनिधि अवशोषित करने हेतु एक अतिरिक्त साधन होती है। भारतीय रिजर्व बैंक पर बाध्यकारी संपार्श्विक की बाधा को हटा कर स्थायी जमा सुविधा मौद्रिक नीति के परिचालनात्मक ढांचे को सुदृढ़ करती है। स्थायी जमा सुविधा चलनिधि प्रबंधन में अपनी भूमिका के अतिरिक्त वित्तीय स्थिरता का एक साधन भी होती है।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

एंजेल/फरिश्ता निवेशक

एंजेल/फरिश्ता निवेशक (निजी निवेशक, बीज निवेशक अथवा एंजेल निधिदाता/फंडर के रूप में भी ज्ञात) एक ऐसी उच्च निवल

मालियत वाला व्यक्ति होता है जो छोटे स्टार्ट-अपों या उद्यमियों के लिए विशिष्ट रूप से कंपनी में स्वामित्वपूर्ण इक्विटी के एवज में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। एंजेल/फरिश्ता निवेशक जो निधियाँ उपलब्ध कराता है वे व्यवसाय को शुरू करने में सहायता करने हेतु एकबारगी निवेश हो सकती हैं या कंपनी को उसके कठिन प्रारम्भिक चरणों से बाहर निकालने में सहायता करने हेतु एक निरंतर निषेचन (injection) हो सकती हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

मई माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थल
निवारक सतर्कता और धोखाधड़ी प्रबंधन	9 से 11 मई, 2022	प्रौद्योगिकी पर आधारित वही
प्रमाणित खजाना व्यावसायिक	12 से 14 मई 2022	
कृषि वित्तीयन तथा कृषि ऋण प्रबंधन	16 से 17 मई 2022	
सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के विधि अधिकारियों के लिए कार्यक्रम	17 से 20 मई 2022	
प्रमाणित ऋण व्यावसायिक	19 से 21 मई, 2022	
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	19 से 21 मई 2022	
प्रभावी शाखा प्रबंधन	24 से 26 मई 2022	
प्रमाणित लेखा एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	25 से 27 मई 2022	
अनुशासन प्रबंधन और अनुशासनिक कार्रवाई/ कार्यवाही	30 से 31 मई 2022	

संस्थान समाचार

12 मई 2022 को "2022-2023 में भारतीय रूपया" (INR in 2022-2023) पर वेबिनार

संस्थान ने भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (FEDAI) के सहयोग से "2022-2023 में भारतीय रुपया" विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया था। उक्त वेबिनार में वक्ता क्रमश: बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री श्री मदन सबनवीस ने 2022-2023 में भारतीय रुपए के आर्थिक परिप्रेक्ष्य पर व्याख्यान दिया और एक्सिस बैंक के खजाना, बाजार एवं थोक बैंकिंग उत्पाद के ग्रुप कार्यपालक श्री नीरज गंभीर ने उक्त मुद्रा के प्रति बाजार के दृष्टिकोण से अवगत कराया। इस अवसर पर आयोजित पैनल चर्चा का संचालन/प्रतिपादन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ के मुख्य कार्यपालक श्री अश्वनी सिंधवानी ने किया। इस वेबिनार को संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट के पृष्ठ पर लाइवस्ट्रीम (livestream) किया गया। इसमें बैंकरों की अच्छी -ख़ासी उपस्थिती परिलक्षित हुई।

27 मई 2022 को "एकीकृत अभिशासन, जोखिम और अनुपालन (GRC) ढांचा" पर कार्यशाला का आयोजन

संस्थान भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (The Institute of Company Secretaries) के सहयोग से 27 मई 2022 को अपरान्ह 2.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक "एकीकृत अभिशासन, जोखिम और अनुपालन (GRC) ढांचा" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इस कार्यशाला का स्थल संस्थान का संगोष्ठी कक्ष (Seminar Hall) 3री मंजिल, मुंबई है। पंजीकरण और अधिक विवरण के लिए www.iibf.or.in. देखें।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम 2022-23 की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के 11वें बैच की घोषणा करता है। 10 महीनों की अवधि में पूरा होने वाला यह कार्यक्रम कार्यरत कार्यपालकों के लिए तैयार किया गया है तथा इसमें बैंकिंग एवं वित्त के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है। यह आनलाइन मोड में सप्ताहांत में संचालित सत्रों सहित एक संकर/मिश्रित कार्यक्रम है और बीच-बीच में विसर्जन कार्यक्रमों की व्यवस्था है। सत्रों का संचालन उद्योग और शैक्षिक क्षेत्र के विशेषज्ञ संकाय सदस्यों द्वारा किया जाता है। बैच की शुरूआत जून 2022 से होगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई ''बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक'' का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (NISM) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी- संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से समंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इन्स्टीटूट आफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं समसामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित किया गया है। संशोधित पाठ्यक्रम के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थायी तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षायें नवंबर/दिसंबर2022 के दौरान आयोजित की जाएंगी जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in. देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के अप्रैल – जून, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "Embedding ESG (Environmental, Social and Governance) into Banks' strategy"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान मेँ इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने –आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक परीक्षा मेँ कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे मेँ पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/दिशानिर्देशों मेँ प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि मेँ कुछ परिवर्तन हो सकते हैं।

इन मुद्दों का प्रभावी रीति से समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2022 से जनवरी, 2023 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2022 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

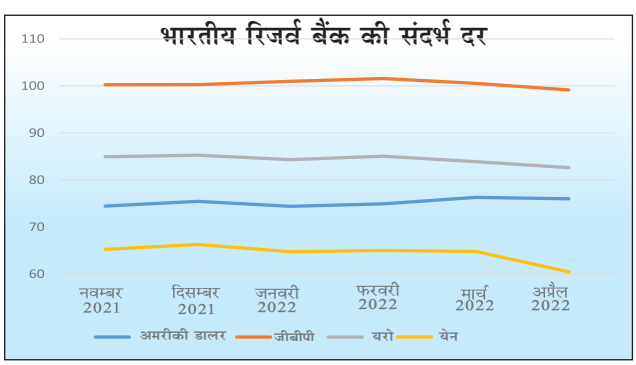

स्रोत: एफबीआईएल

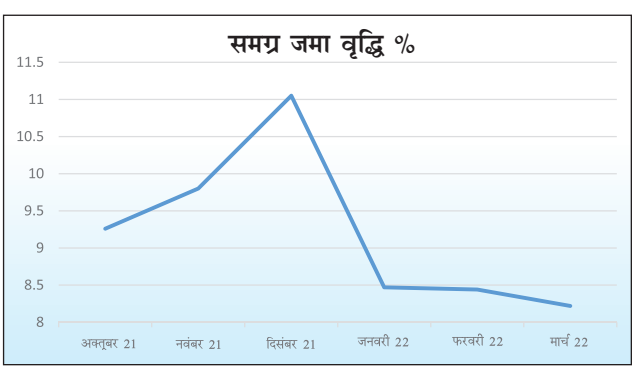

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2022

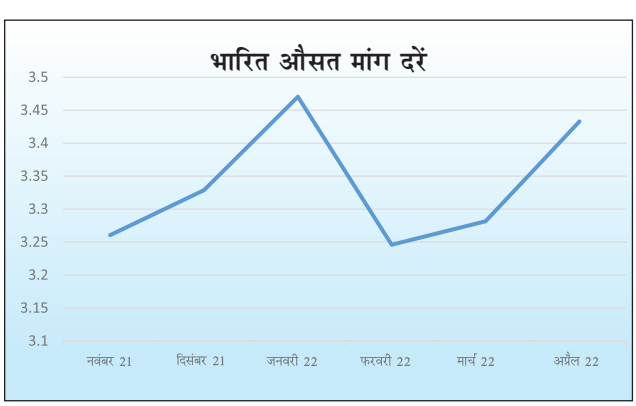

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

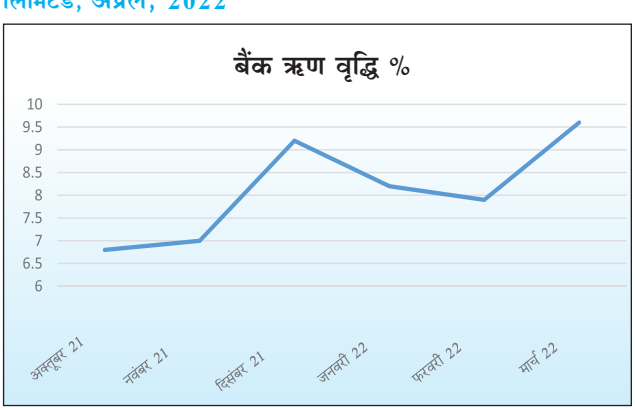

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

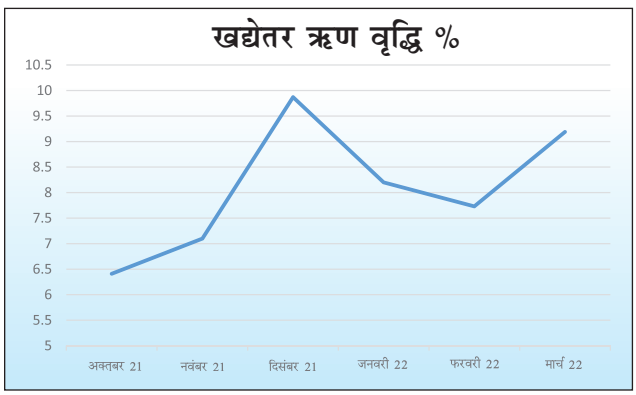

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, अप्रैल, 2022

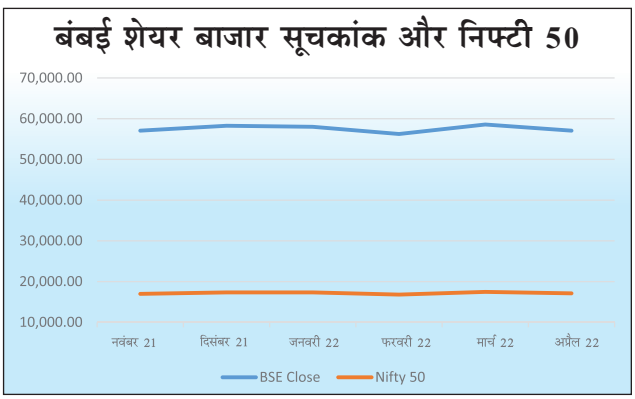

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

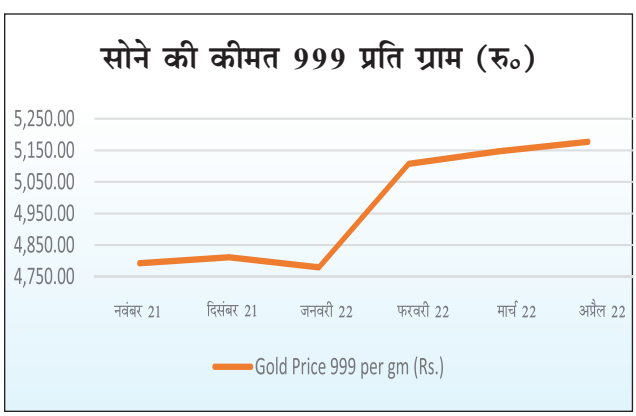

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

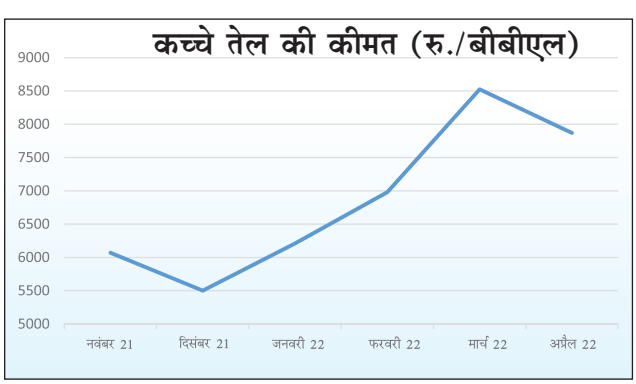

स्रोत: पीपीसीए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-6850 7000
फैक्स : 91-22-2503 7332
वेबसाइट : www.iibf.org.in